न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 339/2022 निर्णय दिनांक :– 10.02.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मनीष पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी बंबाली तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

– अप्रार्थी –

उपस्थिति :–
श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राजत धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है0, कि कृषि भूमि हाल खाता संख्या 178 खसरा नम्बर 1865/554 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम सरोली एवं खाता संख्या 180 खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.50 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि खाता संख्या 180 राजस्व कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थी की माता सहोदरा पुत्री रामसुखा दर्ज कर दिया एवं खाता संख्या 178 में सरजू पुत्री रामसुखा दर्ज कर दिया है। जो कि गलत है। प्रार्थी की माता जसोदा पुत्री रामसुखा पत्नी जगन्नाथ की मृत्यु हो गई है। जसोदा का नाम जसोदा के स्थान पर सोहदरा व सरजू दर्ज कर दिया है, जो गलत हैं। प्रार्थी की माता के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु पहचान पत्र, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी की माता जसोदा अंकित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी स्व. माता जसोदा का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है, तथा फौती नामान्तकरण खुलने में काफी परेशानिया उत्पन्न हो रही है तथा प्रार्थी कई सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित हो रहा है। प्रार्थी की माता जसोदा ने अपने जीवनकाल में उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी ने कई बार अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी को कई प्रार्थना पत्र पेश किये है और

राजस्व शिविर में भी शिविर प्रभारी को प्रार्थना पत्र पेश किये है, परन्तु आज–तक उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम दुरूस्त नहीं हो पाया है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम सरजू व सोहदरा के स्थान पर सही नाम जसोदा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है । प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है । बाकी कानूनी पहलू व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हाल संख्या 178 खसरा नम्बर 1865/554 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.26 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम सरोली एवं खाता संख्या 180 खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.50 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम सहोदरा व सरजू के स्थान पर सही नाम जसोदा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुरूप इनके उत्तरोत्तर उत्तराधिकारी/विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है0,:– बिन्दू संख्या 1 अस्वीकार है। वादी साक्ष्य व सबूतो के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 2 अस्वीकार है0। वादी साक्ष्य व सबूतो के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 3 अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है, जो न्यायालय से सम्बन्धित है। वादी साक्ष्य व सबूतो के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 5, 6 ,7 कानूनी बिन्दू है, जो न्यायालय से सम्बन्धित है,। नोटः–वादी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष साबित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस मीमो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 178 में सरजू पुत्री रामसुखा व खाता संख्या 180 में सोहदरा पुत्री रामसुखा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख में दर्ज सरजू पुत्री रामसुखा, सोहदरा पुत्री रामसुखा दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.19 पहचान पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत, रजलावता दिनांक 24.04.2022 के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिनमें प्रार्थीया का नाम जसोदा का अंकन है। कार्यालय ग्राम पंचायत, जुनियां का सरपंच

द्वारा दिनांक 3.02.2023 से प्रमाणित के जसोदा पुत्री रामसुख बैरवा ग्राम सरोी तह0 दूनी जिला टोंक राज. की रहने वाली श्री जो कि इनकी शादी बरबूली तह0 नैनवा में हुई थी, जिनकी मृत्यु हो चकी है जिसका विवरण ग्राम पंचायत रजलावता के लेटर हेड पर है। जबकि जशोदा का जमाबंदी सरोली में सोहदरा नाम गलती से अंकित हो गया है। इसको सोहदरा की जगह जशोदा ही नाम से पहचाना जाता है। रिकॉर्ड में भी इसी नाम से दस्तावेज है। यह मेरी जानकारी में सही व सत्य है। उक्त खातेदारी भूमि के सहखातेदार सोजी पुत्र रामसुखा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी का पेश किया जिसमें शोजी ने यह अंकन किया है कि गलती से मेरी बहन का नाम सहोदरा व सरजू हो गया है जबकि उसका सही नाम जसोदा पुत्री रामसुखा जाति बैरवा निवासी सरोली है। उसके सभी दस्तावेजो में उसका नाम जसोदा है। उक्त दस्तावेज से प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम के किन्ही व्यक्तियों द्वारा बताये गये नामो का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया जिनको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है0। अतः वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 178 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है0 में दर्ज सरजू पुत्री रामसुखा व खाता संख्या 180 में दर्ज सोहदरा पुत्री रामसुखा के स्थान पर जसोदा पुत्री रामसुखा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व बाद जांच जसोदा के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण खोलने हेतु तहसीलदार दूनी को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली